संख्या-288/2023/316रासनि/23-1-23-101रासनि/2020

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 22 मार्च, 2023

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक 5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत स्वीकृत 01 नये कार्य हेतु निर्गत शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-1747/(54-सी) समग्र वृत्त/2022-23, दिनांक 05.12.2022 एवं पत्र संख्या-223/54-सी/2022-23, दिनांक 01.02.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आगणन की प्रति उपलब्ध कराते हुए शासनादेश संख्या-355/2021/974रासनि/23-1-21-101रासनि/20, दिनांक 17.12.2021 में क्रमांक-4 पर अंकित कार्य (जनपद बलिया में नगरा बरौली मार्ग से टिकुलिया से अहिरौली आरीपुर हरिजन बस्ती होते हुए पतोई चौहान बस्ती होते हुए गौरा पिच तक मार्ग का निर्माण कार्य) की लम्बाई 5.460 किमी0 के स्थान पर 4.100 किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग के पत्र संख्या-1909/(54-टप्)/समग्र वृत्त/2020-21 दिनांक 15.03.2021 में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर शासनादेश संख्या-355/2021/974रासनि/23-1-21-101रासनि/20, दिनांक 17.12.2021 में क्रमांक-4 पर अंकित कार्य (जनपद बलिया में नगरा बरौली मार्ग से टिकुलिया से अहिरौली आरीपुर हरिजन बस्ती होते हुए पतोई चौहान बस्ती होते हुए गौरा पिच तक मार्ग का निर्माण कार्य) की लम्बाई 5.460 किमी0 एवं लागत 221.03 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के उपरोक्त पत्र दिनांक 05.12.2022 में किये गये अनुरोध के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-355/2021/974रासनि/23-1-21-101रासनि/20, दिनांक 17.12.2021 में कार्यों की तालिका के क्रमांक-4 पर अंकित जनपद बलिया के 01 मार्ग "नगरा बरौली मार्ग से टिकुलिया से अहिरौली आरीपुर हरिजन बस्ती होते हुए पतोई चौहान बस्ती होते हुए गौरा पिच तक मार्ग का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निर्माण कार्य" संबंधी विवरण के स्तम्भ-5 में लम्बाई 5.460 कि0मी0 के स्थान पर 4.100 कि0मी0 पढ़ी जायेगी ।

4- उक्त के अतिरिक्त शासनादेश सं0-355/2021/974रासनि/23-1-21-101रासनि/20, दिनांक 17.12.2021 की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-288/2023/316रासनि(1)/23-1-23-101आरएसएन/20, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।